Need to provide pensions and take other welfare measures for parents having only daughters as children.-laid

श्री मुरारी लाल मीना **(दौसा) :**आज सरकार की जनसंख्या नीति, बढ़ती महंगाई और जीवन की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए अधिकांश परिवार एक या दो बच्चों तक सीमित रह गए हैं । विशेष रूप से यदि किसी परिवार में केवल एक या दो बेटियाँ हैं, तो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के कारण उनकी शादी के उपरांत माता-पिता अकेले रह जाते हैं । यह स्थिति न केवल भावनात्मक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बड़ी चुनौती बन जाती है । हमारी सामाजिक परंपराएँ ऐसी हैं कि विवाहित बेटियाँ के साथ प्रायः माता-पिता नहीं रह पाते, जिससे वृद्धावस्था में माता-पिता को सुरक्षा और सहारे की गंभीर आवश्यकता होती है । उम्र के साथ काम करने की शक्ति और शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी लग जाती है । इसलिए, सरकार ऐसे माता-पिता को 55 वर्ष की आयु से ही पेंशन देने की एवं सामान्य पेंशन की तुलना में दोगुनी की जाए, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ को विशेष छूट के साथ लागू की जाएँ । सरकारी आश्रय एवं देखभाल केंद्रों की स्थापना की जाए । इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द कोई ठोस योजना बनाई जाए, ताकि बेटियों के माता-पिता को अपने भविष्य की चिंता न करनी पड़े और वे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें ।